365

226

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल, पीठ रीवा, ॥म0प्र0॥

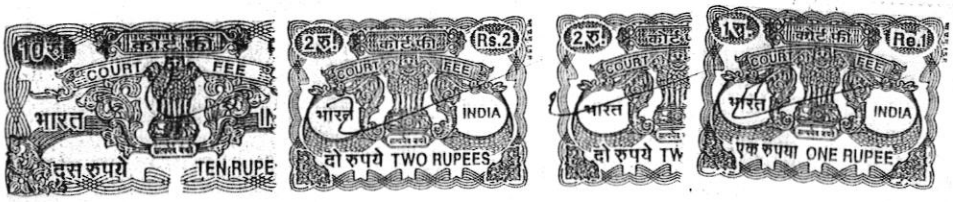

उमेश कुमार शुक्ला तनय स्व0 रामधनी प्रसाद शुक्ला, पेशा-प्राईवेट होटल मे नौकरी, स्थाई निवासी ग्रामजोगिनहाई, तहसीलरायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

----निगरानी कर्ता.

R-2156-II/12

बनाम्

01-- गणेश प्रसाद शुक्ला तनय स्व0 रामधनी प्रसाद शुक्ला उम्र-62 वर्ष पेशा-खेती, निवासी ग्राम जोगिनहाई, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

02- रामखेलावन शुक्ला तनय स्व0 रामधनी प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त कर्मचारी व खेती, निवासी ग्राम जोगिनहाई, तह0रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

03- शिवनारायण शुक्लातनयस्व0 रामधनी प्रसाद शुक्ला होमगार्ड पुलिस मे नौकरी, निवासी ग्राम जोगिनहाई, तह0रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

04- रामनारायण शुक्ला तनय स्व0 रामधनी प्रसाद शुक्ला होमगार्ड पुलिस मे नौकरी, निवासी ग्राम जोगिनहाई, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा, म0प्र0.

-----गैर निगरानी कर्तागण

अधिवक्ता श्री विनोद त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि0 20.6.2012

20.6.12

विद्वान अपर कलेक्टर रीवा ॥ श्रीचन्द्रशेखर नीलकण्ठ ॥ द्वारा प्रकरण क्र0 148/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 18.05.12 को पारित आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

3-7-12

पुनरीक्षण का ज्ञापन

॥01॥ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवंप्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्याय के विपरीत है ।

॥02॥ अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के कथन पर विचार ही नही किया। अनावेदक ने मौका फर्जी वसीयतनामा बनाकर चोरी चोरी अधीनस्थ तहसील न्यायालय से

निरंतर..2पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–**R**.2156–**II** / 12 जिला–रीवा

उमेश कुमार शुक्ला / गणेश प्रसाद शुक्ला वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक तथा अभिभाषक श्री के0एन0 मिश्रा उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	